नोएडा एसईजेड के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 07.04.2025 को होने वाली बैठक की कार्यसूची

मद सं.01. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही की समीक्षा |

मद सं. 02. अक्टूबर से दिसम्बर, 2024 एवं जनवरी से मार्च, 2025 तिमाही में कार्यालय के कामकाज में राजभाषा के प्रयोग में प्रगति की समीक्षा |

मद सं.03. कार्यालय में हिंदी में काम करने में आ रही कठिनाईयों के बारे में विकास आयुक्त महोदय के साथ चर्चा की जा सकती है |

मद सं.04. हिंदी छमाही "प्रेरणा" पत्रिका अप्रैल से सितम्बर, 2024 के सातवें संस्करण को छपवाने हेतु चर्चा की जा सकती है |

मद सं.05. कार्यालय में उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गाज़ियाबाद द्वारा 06.02.2025 निरीक्षण के उपरान्त राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कार्यालय में तिमाही के दौरान प्रोफार्मा में दर्शाए गए आंकड़े के अनुसार दस्तावेज मांगे गए थे जो हमारे कार्यालय में अनुभागों द्वारा नहीं दिए जाते इसलिए हिंदी का कार्य देख रहे सहायक विकास आयुक्त, महोदय ने कार्यालय में एक आदेश निकाला था जिसमे अनुभागों के अधिकारियों से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जिस अनुभाग में इस अधिनियम के अंतर्गत 14 प्रकार के दस्तावेजों में से जारी किये जाते है वह अनुभाग तिमाही रिपोर्ट भरने के दौरान जितने दस्तावेज दिखाए जाए उनकी एक-एक कॉपी हिंदी का कार्य देख रहे अधिकारी/कर्मचारी के पास रिपोर्ट के साथ जमा करने के लिए कहा गया था लेकिन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत पत्र द्विभाषी जारी किये जाते है इसके बाद भी प्रशासन अनुभाग से कार्यालय आदेश हिंदी में जारी किये है जो द्विभाषी जारी किये जाने होते है | **जो साथ में सलंग्न है साथ ही सयुक्त विकास आयुक्त महोदय द्वारा जारी आदेश भी सलंग्न है | धारा 3(3) का पालन नहीं किया जा रहा है | इस पर चर्चा की जा सकती है |**

<u>मद सं.06.</u> कुछ अनुभागों की पिछली तिमाही को देखते हुए इस तिमाही में प्रतिशत कम देखा गया जो निम्न प्रकार है |

1.प्रशासन अनुभाग 2.परियोजना अनुभाग 3.इओयू अनुभाग, इन के आलावा और अनुभागों का प्रतिशत अच्छा देखा गया है |

<u>मद सं.07.</u> कार्यालय में 20.01.2025 को संगोष्ठी करायी गई थी जिसमे ई-ऑफिस में कुंडली या कृति देव फॉन्ट का उपयोग कैसे करें इस पर चर्चा की गयी थी चर्चा के उपरांत विकास आयुक्त महोदय ने एनआईसी (NIC) को पत्र भेजने के लिए कहा गया था | जिसके बाद उप विकास आयुक्त, महोदय (प्रशासन) अनुभाग को एनआईसी (NIC) से इसके बारे में जानकारी मांगने के लिए हिंदी अनुभाग द्वारा संगोष्ठी का कार्यवृत्त (प्रशासन) अनुभाग को जारी कर दिया गया था | **जिसका प्रारूप साथ में सलंग्न है |** अत: एनआईसी (NIC) को पत्र भेजा गया है या नहीं इस पर चर्चा की जा सकती है |

<u>मद सं.08.</u> अध्यक्ष महोदय की अनुमती से कोई अन्य विषय |

<u>मद संख्या 1 और 2 पर कार्यवाही रिपोर्ट:-</u>

कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 02.01.2025 को आयोजित की गई थी | पिछली तिमाही में विकास आयुक्त महोदय द्वारा कार्यालय के सभी अनुभागों को अक्टूबर से दिसम्बर, 2024 तिमाही को देखते हुए जनवरी से मार्च, 2025 तिमाही में प्रतिशत को और बढाने के लिए कहा गया था | और बैठक में अन्य बातो के साथ यह निर्णय लिया गया था की सभी अधिकारीगण अपने-अपने अनुभागों में हिंदी नोटिंग बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे | अपने-अपने अनुभागों से प्रत्येक तिमाही में रिपोर्ट धारा 3(3) के अंतर्गत पत्रादि द्विभाषी और नियम-5 के अंतर्गत हिंदी में जारी करेंगे |

कार्यालय के सदस्यगण अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपने-अपने अनुभागों में हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाईयों और प्रगति के लिए किये गए उपायों पर विचार रख सकते है |